be nominated to the said Joint Committee to fill the vacancies."

V

"In accordance with the provisions of rule 101 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that the following amendments made by Rajya Sabha in the Bharat Petroleum Corporation Limited (Determination of conditions of Service of Employees) Bill, 1988, at its sitting held on the 8th August, 1988, were taken into consideration and agreed to by Lok Sabha at its sitting held on Wednesday, the 31st August, 1988:—

Clause 1

1. That at page 1, *for* lines 9-10 the following be *substituted* namely:—

"1. (1) This Act may be called the Bharat Petroleum Corporation Limited (Determination of Conditions of Service of Employees) Act, 1988.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 2nd day of July, 1988."

New Clause 4

2. That at page 3, *after* line 20, the following be *inserted, namely*:—

"4. (1) The Bharat Petroleum Corporation Limited (Determination of Conditions of Service of Employees) Ordinance, 1988, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act."

Sir, I lay a copy each of the Bills mentioned at (I) and (II) above on the Table.

ANNOUNCEMENT REGARDING ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 31st August, 1988, allotted time for Government legislative business as follows:—

	Business	Time allotted
		hrs.
1	Consideration and passing of the Defamation Bill, 1988, as passed by the Lok Sabha	4
2	Consideration and passing of the Auroville Foundation Bill, 1988	1

The Committee also recommended that the House may sit on Friday, the 2nd September, 1988 and the Private Members' Business (Resolutions) scheduled for Thursday, the 1st September, 1988, may be taken up on that day. Thursday, the 1st September, 1988 may be devoted to the transaction of Government business.

The Committee further recommended that in order to complete Government legislative and other business, the present Session of the Rajya Sabha be extended by one day and, accordingly, the House

[Shri Satya Prakash Malaviya]

should sit on Tuesday, the 6th September, 1988.

MOTOR Vehicles Bill 1988—contd.

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल) : मि० वाइस चेयरमैन सर मोटर व्हिकल्ज बिल के ऊपर जो बहस इस वक्त हो रही है जिसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि 1939 में कानून बना था उसके करीबन 50 साल के बाद एक कंप्रीहैंसिव बिल आया है। ..[**The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai)** in the Chair.]

इस बीच में कई तरमीमात हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात का मुकाबला करने के लिए जो पुराने कानून थे वे काफी नहीं है और इस एतबार से मंत्री जी यह जो बिल लाये है इसका स्वागत किया जायेगा। लेकिन यह बात सही है कि इस वक्त रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जिन हालात से गुजर रही है उनका बहुत अच्छी तरह अहाता इस बिल में नहीं किया जा सका। मिसाल के तौर पर सड़क परिवहन की अहमियत हमारे देश की अर्थ नीति में इस वक्त बहुत बढ़ गई है, अनाज की पैदावार बढ़ गई है, लोगों के जाने-आने का मामला बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है सड़कें ज्यादा बन रही हैं, इस एतबार से इसकी अहमियत रेलवे से अगर ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। लेकिन जो सब से पेचीदा सवाल है वह है मिलकियत का सवाल। ज्यादातर गाड़ियां प्राइवेट सैक्टर में हैं और खास करके सामान ले जाने वाली गाड़ियां, और एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। एक्सीडेंट्स का जो रेश्यो है वह मेरे ख्याल में हमारे देश में जितने हादसे होते है इसकी मिसाल और कहीं मुश्किल से मिलेगी। इन एक्सीडेंट्स के क्या वजुहात हैं? इसके वजुहात में पहली वजह तो ड्राईवर की ट्रेनिंग की है। ड्राईवरों को जो ट्रेनिंग दी जाती है इसके सभी स्कूल प्राइवेट सैक्टर में हैं और ये स्कूल मुनाफे के लिए चलाए जाते हैं। उसमें कोई भी आदमी जा कर और कुछ पसे दे करके कम से कम मुद्दत में भी लाईसेंस हासिल कर लेता है, लेकिन अगर गाड़ी चलाने का काम अच्छी तरह न सीखे तो हादसे की एक वजह तो यह हो सकती है।

6.00 P.M. दूसरी क्या है कि टेक्नीकल ट्रेनिंग के अलावा ड्राइवरों की जेहनी तरबीयत भी होनी चाहिए। आज जेहनी तरबीयत की कमी बहुत महसूस की जा रही है। मसलन अक्सर हादसे होते हैं, उसके बाद ड्राइवर की भी मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब मिलती है तो पता चलता है कि ड्राइवर नशे में था। इसके लिए हमारे देश में शराब पीने के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान का जो यहां क्लाइमेट है, जो मौसमी हालात हैं, उस एतबार से भी शराब पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है और अब तो मेडिकल साइंस भी कहत है कि यह चीज सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन ड्राइवर सब के बारे में तो नहीं अक्सर ड्राइवरों के बारे में यह शिकायत सुनी जाती है कि वह शराब पीने का आदी है। इसकी एक वजह यह है कि उनके काम करने की कोई मियाद मुकर्रर नहीं है। इस बिल में यह एक अच्छी बात है कि दफा 91 में यह कहा गया है कि ड्राइवरों के लिए पांच घंटा काम करने के बाद आधा घण्टा आराम का बंदोबस्त होना चाहिए उनसे रोजाना आठ घंटे और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए। इस चीज की डिमांड बहुत दिनों से की जा रही थी। हो सकता है, इससे भी जो लोग, ओवर वर्क जिसको कहते हैं, या ज्यादा थकान के कारण शराब पीने की तरफ जाना चाहते हों, वे बच सकते है। लेकिन इसमें सिर्फ ड्राइवर को रखा गया है, मेरी सलाह है कि ड्राइवर के अलावा जो कंडक्टर, क्लीनर, हेल्पर, लोडर गाड़ी में होते है, उनको भी इसमें लेना चाहिए कि उनसे भी आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाना चाहिए। ड्राइवर ठीक है गाड़ी चलाता है, लेकिन और लोग भी गाड़ी में होते हैं। अगर केवल ड्राइवर के लिए आठ घंटे के काम का बंदोबस्त करेंगे तो जो गाड़ी का मालिक होगा, वह चालाकी से कानून को मानते हुए ड्राइवर पर अमल करेगा और दूसरे से